

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

30/9/20
30/9/20

397
3/18

क्रमांक :- प.10(65)आयु./2019

जयपुर, दिनांक 29 SEP 2020

::-आदेश-::

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.09.2020 की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान आयुर्वेद सेवा के निम्नांकित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 05 में अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध सहायक निदेशक/वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ग्रेड-11 (अंतःपरिवर्तनीय) के पद पर (Pay, Matrix Level L-15) वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-2020 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है:-

वर्ष 2018-2019

क्र.सं.	नाम चिकित्साधिकारी	संवर्ग	जन्म दिनांक	रिक्ति तिथी
1	2	3	4	5
1	डॉ. यशवंत कुमार व्यास	GEN	21-06-1965	01.04.18
2	डॉ.पवन कुमार शर्मा	GEN	15-07-1968	01.04.18
3	डॉ.सरिता मीणा	ST	26-10-1985	01.04.18
4	डॉ.कैलाशचन्द्र कटारिया	SC	15-08-1985	01.08.18

वर्ष 2019-2020


क्र.सं.	नाम चिकित्साधिकारी	संवर्ग	जन्म दिनांक	रिक्ति तिथी
1	2	3	4	5
1	डॉ.प्रकाश व्यास	GEN	10-06-1965	01-04-19
2	डॉ. राजेन्द्रकुमार गुप्ता	GEN	01-07-1965	01-10-19

नोट:-

- कार्मिक (क-2)विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.7(1)/ डीओपी / ए-11 /95 दिनांक 20.06.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपर्युक्त उक्त अधिकारियों के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान उत्पन्न हुईं होतो पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगी। निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर यह सुनिश्चित करे कि इस आशय का संबंधित कर्मचारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे।
- उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदोन्नति पर दिनांक 10.10.2020 तक कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा स्वेच्छा से परित्याग (फोरगो) माना जावेगा।

- 3 विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है, किन्तु पदोन्नति का नगद लाभ कार्यग्रहण दिनांक से देय होगा।

आज्ञा से,


(आर.पी.कृतुर्वेदी)
उप शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर


क्रमांक: प.1/प्रति.1/राज0/स.नि.-व.चिकि.ग्रेड-II/2020/13486

दिनांक: 11/10/20

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर
3. अति० निजी सचिव, निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
4. विकास अधिकारी, झालरापाटन-झालावाड
5. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जोधपुर/कोटा/बीकानेर/जयपुर।
6. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, सिरोही/बून्दी/बीकानेर/जयपुर 'ब'/झालावाड।
7. संस्थापन अधिकारी, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, (प्रति० शाखा) आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
9. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर को देकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।

नोट:- समस्त कार्यालयाध्यक्ष प्रशासनिक विभाग के उक्त आदेश में अंकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे एवं पदोन्नत अधिकारियों द्वारा कार्यग्रहण से पूर्व सन्तान संबंधी वचन-पत्र प्राप्त कर लेवे।


(बाल गोविन्द गुप्ता)
सहायक निदेशक